होगा कि वह उस अभिलेख या रजिस्टर के सही संकलन या संशोधन के लिए आवश्यक समस्त ऐसी जानकारी या दस्तावेज, जो उसकी जानकारी में या उसके कब्जे या अधिकार में हो, ऐसी अध्यपेक्षा की जाने की तारीख से एक मास के भीतर, उसके निरीक्षण के लिए दे या पेश करे । प्रस्तुत की गयी जानकारी या पेश किए गए दस्तावेज की लिखित अभिस्वीकृति व्यक्ति को दी जाएगी।

inspection, within one month from the date of such requisition, all such information or documents needed for the correct compilation or revision thereof, as may be within his knowledge or in his possession or powers. A written acknowledgement of the information furnished or document produced shall be given to the person.

(4) कोई भी व्यक्ति, जो विनिर्दिष्ट की गयी कालावधि के भीतर उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित की गयी रिपोर्ट करने में या उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित की गयी जानकारी देने में या दस्तावेज पेश करने की उपेक्षा करेगा तो वह तहसीलदार के स्वविवेक पर पांच हजार रूपये से अनधिक की शास्ति का दायी होगा।

(4) Any person neglecting to make the report required by sub-section (1) or furnish the information or produce the documents required by sub-section (3) within the period specified therein shall be liable, at the discretion of the Tahsildar, to a penalty not exceeding five thousand rupees.

(5) इस धारा के अधीन किसी अधिकार अर्जन से संबंधित किसी ऐसी रिपोर्ट के बारे में जो विनिर्दिष्ट की गयी कालावधि के पश्चात् प्राप्त हुई हो, धारा 110 के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी ।.

(5) Any report regarding the acquisition of any right under this section received after the specified period shall be dealt with in accordance with the provisions of section 110. ]

[110. भू–अभिलेखों में अधिकार – अर्जन बाबत् नामांतरण.– [2][(1) पटवारी या नगर सर्वेक्षक या धारा 109 के अधीन प्राधिकृत व्यक्ति, अधिकार के प्रत्येक ऐसे अर्जन को , जिसकी कि रिपोर्ट उसे धारा 109 के अधीन की गयी हो या जो किसी अन्य स्रोत से प्राप्त सूचना पर उसकी जानकारी में आये, इस प्रयोजन हेतु विहित किए गए रजिस्टर में दर्ज करेगा।]

[1][ 110. Mutation of acquisition of right in land records.- [2][(1) The patwari or Nagar Sarvekshak or person authorised under section 109 shall enter into a register prescribed for the purpose every acquisition of right reported to him under section 109 or which comes to his notice from any other source.]

(2) यथास्थिति, पटवारी या नगर सर्वेक्षक या अधिकृत व्यक्ति अधिकार अर्जन संबंधी समस्त

(2) The patwari or Nagar Sarvekshak or person authorised, as the case may be,

1 अधिनियम कमांक 23 सन् 2018 द्वारा प्रतिस्थापित।
2 अधिनियम कमांक 14 सन् 2020 द्वारा प्रतिस्थापित।

1. Substituted by Act No. 23 of 2018.
2. Substituted by Act No. 14 of 2020.

राजस्व विभाग (शाखा - 2)

परंतु यदि अपेक्षित प्रतियां विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर प्रदाय नही की जाती हैं तो तहसीलदार कारण अभिलिखित करेगा तथा उपखण्ड अधिकारी को रिपोर्ट देगा।

(6) धारा 35 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस धारा के अधीन कोई मामला किसी पक्षकार की अनुपस्थिति में खारिज नहीं किया जाएगा तथा गुणागुण क्रम में निपटाया जाएगा ।

(7) इस धारा के अधीन समस्त कार्यवाहियां पंजीकरण होने की तारीख से अविवादित मामले के संबंध में दो माह के भीतर पूर्ण की जाएंगी तथा विवादित कार्यवाहियों के मामले के छह माह के भीतर पूरी की जाएगी। उस दशा में, जहां कार्यवाहियां विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर निराकृत नहीं की जाती है, तो तहसीलदार लंबित मामलों की जानकारी की रिपोर्ट ऐसे प्ररूप तथा रीति में, जैसा कि विहित किया जाए, कलेक्टर को देगा।]

111.सिविल न्यायालयों की अधिकारिता.– सिविल न्यायलयो को, किसी भी ऐसे अधिकार से, जो अधिकार अभिलेख में अभिलिखित हो, सम्बन्धित किसी भी ऐसे विवाद को विनिश्चित करने की अधिकारिता होगी जिसमें राज्य सरकार पक्षकार न हो।

[1][112. विलोपित ]

[2][113. अधिकार अभिलेख में गलतियों का शुद्धिकरण.– कलेक्टर, किसी भी समय, लेखन संबंधी किन्ही भी गलतियों को तथा किन्ही भी ऐसी गलतियों को जिनके कि संबंध मे हितबद्ध पक्षकार यह स्वीकार करते हो, कि वे धारा 108

1. अधिनियम कमांक 23 सन् 2018 द्वारा लोप।
2. अधिनियम कमांक 23 सन् 2018 द्वारा प्रतिस्थापित।

Provided that if the required copies are not supplied within the period specified, the Tahsildar shall record the reasons and report to the Sub-Divisional Officer.

(6) Notwithstanding anything contained in section 35, no case under this section shall be dismissed due to the absence of a party and shall be disposed of on merits.

(7) All proceedings under this section shall be completed within two months in respect of undisputed case and within six months in respect of disputed case from the date of registration of the case. In case the proceedings are not disposed of within the specified period, the Tahsildar shall report the information of pending cases to the Collector in such Form and manner as may be prescribed.]

**111. Jurisdiction of Civil Courts.** — The Civil Courts shall have jurisdiction to decide any dispute to which the State Government is not a party relating to any right which is recorded in the record-of-rights.

112. [1][deleted.]

[2][**113. Correction of errors in record of rights**- The Collector may, at any time, correct or cause to be corrected any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the

1. Deleted by Act No. 23 of 2018.
2. Substituted by Act No. 23 of 2018.